न्यूज़ टुडे

एसोचैम-ईग्रो (ASSOCHAM-Egrow) ने "व्यापार करने में चुनौतियों का सामना कर रहे MSMEs" रिपोर्ट जारी की

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वित्त वर्ष 2024 में MSMEs द्वारा **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 46% का योगदान** किया गया है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि **2047 तक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों में देश के 67% कार्यबल को रोजगार** मिलेगा और ये क्षेत्रक GDP में **75% से अधिक का योगदान** करेंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक के बारे में

- MSMEs वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक स्तर पर **90% कारोबार MSMEs के तहत** आते हैं और ये **वैश्विक GDP में लगभग 50%** का योगदान करते हैं।
- भारतीय MSMEs क्षेत्रक का आकार **2028 तक लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाने की संभावना है।**

MSMEs क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **पंजीकरण में देरी:** इसके लिए बोझिल पंजीकरण प्रक्रिया और अदक्ष सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली जिम्मेदार है।
- **सरकारी योजनाओं के बारे में अस्पष्टता की स्थिति:** ऐसा योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी और भ्रम की स्थिति तथा केंद्र-राज्यों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण होता है।
  - उदाहरण के लिए- **GST के तहत जटिल पंजीकरण और उसमें बार-बार संशोधन** से व्यापार करने की लागत बढ़ रही है।
- **प्रशासनिक बोझ: प्रोफेशनल टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, न्यूनतम मजदूरी आदि के मामले में डॉक्यूमेंट संबंधी दोहराव** के कारण व्यापार संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **श्रम संबंधी मुद्दे:** इसमें नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए स्पष्ट ट्रायल पीरियड का अभाव, अकुशल श्रमिक, राज्यों के मध्य वेतन के संबंध में भिन्नता, अक्षम प्रशिक्षण केंद्र आदि शामिल हैं।
- **वित्तीय मुद्दे:** MSMEs के विकास में संस्थागत वित्त तक सीमित पहुंच, अस्पष्ट ऋण आवेदन प्रक्रिया और जमानत की कमी आदि बाधा डालते हैं।
- **निर्यात संबंधी मुद्दे:** अपर्याप्त अवसंरचना, भारतीय MSMEs के लिए **पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) रिपोर्ट्स की अनिवार्यता के अभाव आदि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ता है।**

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- समर्पित हेल्पलाइन और दस्तावेजों के लिए मानकीकृत चेकलिस्ट के साथ **सिंगल विंडो क्लीयरेंस के जरिए पंजीकरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित** किया जाना चाहिए।
- योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने, GST पंजीकरण को सरल बनाने और बार-बार संशोधन करने से बचने के लिए **समर्पित MSME समन्वय परिषद का गठन** किया जाना चाहिए।
- कर्मचारियों के लिए समान वेतन, किफायती श्रम बीमा योजनाएं और उद्योग से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से **कार्यबल का बेहतर प्रबंधन** किया जाना चाहिए।
- **पर्याप्त वित्त-पोषण,** मुद्रा (MUDRA) योजना की भूमिका और उस तक पहुंच को बढ़ाना, फिनटेक समाधान विकसित करना और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- MSMEs की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए **बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उनके लिए एक अनुकूल ESG फ्रेमवर्क तैयार** करना चाहिए।

NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से अवैध रेत खनन से निपटने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कहा कि **सिलिका रेत खदानों से सिलिका रेत निकालने वाले** श्रमिकों को **सिलिकोसिस** जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। **सिलिकोसिस वस्तुतः फेफड़ों की बीमारी** है, जो क्रिस्टलीय सिलिका धूल के सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचने से होती है।

- NGT ने यह भी पाया कि **सिलिका रेत वॉशिंग प्लांट्स में उचित रूप से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।** इसके अलावा, वैधानिक विनियामक कानूनों के पालन के मामले में लापरवाही भी बरतते हैं।
- सिलिका रेत के उत्पादन के लिए **ओपन टेक्स्चर वाले बलुआ पत्थर या क्वार्टजाइट को क्रश** किया जाता है। इसके बाद इसकी वॉशिंग की जाती है और आवश्यकता के अनुसार उसे अलग-अलग आकार में वर्गीकृत कर लिया जाता है।

रेत संसाधन के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार **रेत विश्व में जल के बाद दूसरा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है।**
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम)** के तहत रेत को **गौण खनिज** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रेत खनन के बारे में

- **परिभाषा:** रेत खनन को आगे प्रसंस्करण के लिए मूल्यवान खनिजों, धातुओं, क्रश्ड स्टोन, रेत और बजरी को निकालने हेतु प्राकृतिक पर्यावरण से प्राथमिक प्राकृतिक रेत व रेत संसाधनों को हटाने के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां प्राकृतिक पर्यावरण में स्थलीय व नदीय पर्यावरण शामिल हैं।
- **अवैध रेत खनन के लिए जिम्मेदार कारक:** इसमें निर्माण कार्यों हेतु रेत की उच्च मांग; संगठित रेत माफिया; संधारणीय विकल्पों का अभाव आदि शामिल हैं।

अवैध रेत खनन के परिणाम

- **बाढ़ और अवसादन:** इसके कारण नदी के मार्ग में बदलाव से बाढ़ और अवसादन, उपजाऊ भूमि की हानि, बुनियादी ढांचे को नुकसान आदि होता है।
- **भूजल स्तर में गिरावट:** भूजल स्तर में गिरावट से कुएं भी प्रभावित होते हैं और जल की कमी हो जाती है।
- **जैव विविधता की हानि:** इससे जलीय पर्यावासों को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण नदी में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजातियों (जैसे घड़ियाल, ताजे जल में रहने वाले कछुए, ऊदबिलाव, नदी डॉल्फिन आदि) के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है।

अवैध रेत खनन से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **MMDR अधिनियम की धारा 23C** राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।
- **संधारणीय रेत प्रबंधन दिशा-निर्देशों (2016)** को और प्रभावी बनाने के लिए **रेत खनन हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा-निर्देश-2020** जारी किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश नदी के पारिस्थितिक-तंत्र की पुनर्बहाली और संरक्षण के लिए जारी किए गए हैं।
- **रेत खनन फ्रेमवर्क (2018)** मैन्युफैक्चर्ड सैंड और कोयला खदानों की खुदाई के दौरान ऊपर की परत से मिलने वाली रेत जैसे विकल्पों को बढ़ावा देता है।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित खनन निगरानी प्रणाली** अवैध रेत खनन पर नज़र रखने और उसे नियंत्रित करने का कार्य करती है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित "13वीं नेशनल सीड कांग्रेस" (NSC) संपन्न हुई

13वीं नेशनल सीड कांग्रेस में "**सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम के लिए नवाचार**" पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें बीज प्रौद्योगिकियों, बायोफोर्टिफायड फसलों और डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) जैसी जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को रेखांकित किया गया।

- **सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम:** खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार यह किसानों के लिए उपयुक्त फसल किस्मों के किफायती और गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

गुणवत्तापूर्ण बीजों का महत्त्व:

- ये फसलों के **आनुवंशिक और भौतिक गुण** बनाए रखते हैं तथा पौधों को **प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता** प्रदान करते हैं।
- इनके अंकुर **अधिक मजबूत और तेजी से बढ़ते हैं** तथा ये **पेस्ट-प्रतिरोधी** भी हो सकते हैं।
- इनकी **जड़ प्रणाली का अधिक दक्षतापूर्वक विकास** होता है। ये जड़ें पोषक तत्वों का बेहतर तरीके से उपयोग करती हैं। इससे **अधिक उपज** प्राप्त होती है।
  - उन्नत किस्मों के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज न्यूनतम **10-12% अधिक उपज** प्रदान करते हैं।

भारत के सीड इकोसिस्टम के समक्ष चुनौतियां

- **बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate: SRR):** भारत में यह दर लगभग **15-20%** है। वैसे अलग-अलग फसल किस्मों में यह दर अलग-अलग हो सकती है। हालांकि, **संकर बीजों में यह 100%** है।
  - किसी खेत में बोई जाने वाली कुल फसल में से जितना हिस्सा प्रमाणित या गुणवत्ता वाले बीजों से बोया गया होता है, उसे ही बीज प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। साधारण भाषा में, यह बताता है कि किसान अपने खेतों में कितने अच्छे और शुद्ध बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
    - **प्रमाणित बीज** वे बीज होते हैं, जिनकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच की जा चुकी होती है।
- **मोनोकल्चर फार्मिंग:** बीटी कपास की बड़े पैमाने पर खेती से **जैव विविधता को नुकसान** पहुंचता है और **फसलों पर पेस्ट के हमलों का खतरा बढ़** जाता है।
- **बीज के बाजार पर एकाधिकार:** बेयर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बीज के बाजारों पर प्रभुत्व है। इससे स्थानीय स्तर पर संरक्षित बीजों का प्रसार नहीं हो पाता है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - **बीज विधेयक संसद में लंबित** है; बीज क्षेत्रक में उद्यमिता की कमी है आदि।

सीड इकोसिस्टम के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की स्थापना:** इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह **60 फसलों की 600 से अधिक किस्मों के लिए आधार (शुद्ध) और प्रमाणित बीज** का उत्पादन करता है।
- **बीज अधिनियम, 1966:** यह कानून **बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित** करता है। इसी अधिनियम के तहत **राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियों की स्थापना** की गई है।
- **राष्ट्रीय बीज नीति, 2002:** यह नीति फसल किस्मों के विकास, बीज की गुणवत्ता और बौद्धिक संपदा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **बीज ग्राम कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य किसानों द्वारा संरक्षित बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय बीज भंडार:** जलवायु आपदाओं के दौरान **बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने** के लिए बीज का भंडार बनाए रखता है।

भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल पूरे हुए

भोपाल गैस त्रासदी के बारे में

- **3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के स्वामित्व वाले एक कीटनाशक संयंत्र (Pesticide plant) से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक हुई थी।**
  - इस त्रासदी के चार दशक बाद भी, UCIL के परिसर में सैकड़ों टन जहरीला अपशिष्ट वहीं मौजूद है।
- **यह भारत की पहली बड़ी रासायनिक (औद्योगिक) आपदा थी।**

भारत में घटित अन्य रासायनिक आपदाएं

- **चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव (2024):** यह **चक्रवात मिचौंग** के कारण गैस पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण घटित हुई थी।
- **विजाग गैस रिसाव (2020):** यह **विशाखापत्तनम** में LG पॉलिमर्स केमिकल प्लांट में स्टाइरीन गैस रिसाव के कारण हुई थी।
- **तुगलकाबाद गैस रिसाव (2017):** यह कंटेनर में से केमिकल क्लोरो मिथाइलपाइरीडीन के लीक होने के कारण घटित हुई थी, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने हेतु किया जाता है।

रासायनिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार कारण

- इसमें मानवीय, तकनीकी और प्रबंधन संबंधी त्रुटियों के कारण किसी प्रोसेस एवं सुरक्षा प्रणालियों की विफलता;
- प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव;
- खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण/ निपटान;
- आतंकवादी हमला/ विद्रोह के कारण तोड़फोड़ आदि शामिल हैं।

रासायनिक आपदाओं के प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** विषैले रसायनों के संपर्क में आने से **महिलाओं के जनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़** सकता है। साथ ही, **श्वसन संबंधी समस्याएं, कैंसर और आनुवंशिक उत्परिवर्तन भी देखने** को मिल सकता है।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** इससे मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण होता है, जिससे **पारिस्थितिकी-तंत्र एवं जैव विविधता पर और बुरा असर पड़ता है।**
- **फसल पर प्रभाव:** खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से पौधों की कोशिकाओं को क्षति पहुँचती है। इससे **प्रकाश संश्लेषण और विकास अवरुद्ध होता है तथा उत्पादकता में कमी** आती है।
- **जैव संचयन:** पर्यावरण में **विषाक्त पदार्थ पहुंच कर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश** कर सकते हैं, जिससे जैव संचयन (Bioaccumulation) हो सकता है।

मिथाइल आइसोसाइनेट (CH_3NCO) के बारे में

- यह एक **वाष्पशील व रंगहीन तरल है, जो अत्यंत ज्वलनशील** होता है। यह वायु के संपर्क में आने पर विस्फोटक हो सकता है।
- यह जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है तथा **मिथाइलमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण** करता है।
- **इसकी तरल अवस्था और वाष्प** सांस लेने या आंखों या त्वचा के संपर्क में आने पर विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करती है।

रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **रासायनिक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देश:** इसके तहत विनियामक निकायों द्वारा निरीक्षण प्रणाली तथा प्राथमिकता के आधार पर राज्यों और जिलों के साथ इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग प्रणाली स्थापित करना आदि शामिल हैं।
- **विस्फोटक अधिनियम, 1884:** यह विस्फोटकों के विनिर्माण, उन्हें रखने, उनके उपयोग तथा परिवहन और आयात को नियंत्रित करता है।
- **रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम 1996** बनाए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 'विश्व एड्स दिवस 2024 कार्यक्रम' का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा 1992 से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। NACO **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** के अधीन आता है।

HIV वायरस के बारे में

- **ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV):** यह मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की **CD4 कोशिकाओं (CD4 टी लिम्फोसाइट)** पर हमला करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। CD4 कोशिकाएं एक प्रकार की **श्वेत रक्त कोशिकाएं** हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
- **रेट्रोवायरस फैमिली से संबंधित:** रेट्रोवायरस के निर्देश राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) पर लिखे होते हैं। जब एक रेट्रोवायरस कोशिकाओं पर हमला करता है, तो यह कोशिकाओं के निर्देशों {**डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA)**} की तरह दिखने के लिए अपने RNA को बदल देता है।
  - फिर यह **कोशिकाओं के DNA को काटता** है और **उनमें अपने निर्देश समाहित** करता है। इसके बाद वायरस होस्ट की सेलुलर आनुवंशिक मशीनरी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर लेता है।
  - **एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) में HIV-रोधी दवाओं का उपयोग करके HIV से संक्रमित लोगों का उपचार** किया जाता है।
- यदि उपचार न किया जाए तो HIV **एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडिफीसिअन्सी सिंड्रोम)** रोग का कारण बन सकता है।

भारत में HIV की स्थिति:

- भारत में **2.4 मिलियन** से अधिक लोग HIV से संक्रमित हैं। इस कारण यह विश्व में **तीसरा सबसे अधिक HIV प्रभावित देश** बन गया है।
- 2010 के बाद से भारत में नए HIV **मामलों में 44% की कमी** आई है, जो वैश्विक गिरावट दर 39% से अधिक है।

HIV की रोकथाम हेतु भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- भारत ने **एड्स से निपटने के लिए 90-90-90 का लक्ष्य** अपनाया है। इस लक्ष्य को बाद में बढ़ाकर 95-95-95 कर दिया गया है। इसके तहत 81% एड्स से पीड़ित लोगों की पहचान कर ली गई है, तथा 88% को ART दिया जा रहा है। साथ ही, 97% चिन्हित लोगों में वायरस के प्रभाव को कम कर दिया गया है।
- **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) चरण-V:** इसका प्रमुख उद्देश्य 2010 के आधारभूत स्तर की तुलना में 2025-26 तक वार्षिक नए HIV संक्रमण और एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 80% तक की कमी लाना है।
- **अन्य:** भारत का HIV और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017; 'मिशन संपर्क' पहल (2017) आदि।

यूनाइटेड किंगडम की संसद ने ऐतिहासिक "सहायता प्राप्त मृत्यु वाले विधेयक (Assisted dying bill)" के पक्ष में मतदान किया

"असाध्य रोग से पीड़ित वयस्क (जीवन का अंत) विधेयक" यूनाइटेड किंगडम की संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में पारित किया गया।

- विधेयक के अनुसार असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के इच्छा मृत्यु (राइट टू डाई) संबंधी अनुरोध पर **दो डॉक्टर और हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश** हस्ताक्षर करेंगे।
- इसके बाद उस वयस्क को **छह महीने के भीतर जीवन को समाप्त करने के अधिकार** का उपयोग करना होगा।

राइट टू डाई के अलग-अलग रूप

- **सहायता प्राप्त मृत्यु (Assisted dying):** असाध्य रोग से पीड़ित मरीज को चिकित्सक से प्राण-घातक दवा उपलब्ध कराई जाती है। फिर उस व्यक्ति को स्वयं ही अपना जीवन समाप्त करने के लिए दवा लेनी पड़ती है।
- **इच्छामृत्यु (Euthanasia):** चिकित्सक जानबूझकर रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए उसे प्राण-घातक दवाइयां देता है। इसके तहत जरूरी नहीं है कि मरीज असाध्य रोग से पीड़ित हो, उसे पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए भी यह तरीका अपनाया जाता है।

इच्छामृत्यु या सहायता प्राप्त मृत्यु और जीवन समाप्त करने से जुड़ी नैतिक दुविधाएं

- **पक्ष में तर्क**
  - **पीड़ा कम होती है:** यह अधिकार **आजीवन पीड़ा और वेजिटेटिव यानी अचेतन अवस्था से मुक्ति** प्रदान करता है। यह वास्तव में दीर्घकालिक पीड़ा को समाप्त करने का एक मानवीय विकल्प प्रदान करता है।
  - **रोगी की गरिमा और स्वायत्तता को संरक्षित किया जाता है:** यह अधिकार रोगी को अपने जीवन का अंत करने के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को मान्यता देता है।
  - **यह पेशेवर और नैतिक तरीका है:** जीवन को समाप्त करने की अनुमति देने से पहले **मेडिकल बोर्ड अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार** करता है। साथ ही, इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए **पूरी तरह से कानूनी जांच-पड़ताल** की जाती है।
- **विपक्ष में तर्क:**
  - **नीतिशास्त्रीय (Ethical) और नैतिक (Moral) चुनौतियां:** चिकित्सा विज्ञान की नैतिक संहिता **जीवन को संरक्षित करने पर जोर** देती है। इस तरह जीवन बचाने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा किसी व्यक्ति का जीवन लेने का विकल्प चुनना **नैतिक दुविधा** उत्पन्न करता है।
  - **दुरुपयोग का खतरा:** अंग प्रत्यारोपण के गोरखधंधे में शामिल लोगों के निहित स्वार्थों द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है आदि।
  - **सामाजिक-सांस्कृतिक और दार्शनिक संवेदनशीलता:** इच्छामृत्यु का अधिकार वास्तव में जीवन और मृत्यु के बारे में अलग-अलग धर्मों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रतिकूल हैं। ईसाई धर्म ग्रंथ भी इसकी अनुमति नहीं देते हैं।
    - उदाहरण के लिए, दार्शनिक **इमैनुएल कांट** का मानना है कि **स्वयं का जीवन समाप्त करने का स्वैच्छिक कार्य "कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, स्वीकार्य नहीं** माना जा सकता है।"

अन्य सुर्ख़ियां

एशिया-ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन (AOMSUC-14)

AOMSUC-14 का आयोजन **नई दिल्ली** में किया जा रहा है।

AOMSUC के बारे में

- **पहला AOMSUC 2010 में बीजिंग** में आयोजित हुआ था। तब से यह **प्रत्येक वर्ष** आयोजित किया जाता रहा है।
- यह मौसम विज्ञानियों, पृथ्वी वैज्ञानिकों, सैटेलाइट संचालकों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
- इसकी मेजबानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** करता है।
- **उद्देश्य**
  - **सैटेलाइट द्वारा अवलोकनों के महत्त्व** का प्रसार करना।
  - सैटेलाइट **रिमोट सेंसिंग विज्ञान को बढ़ावा** देना।
  - सैटेलाइट के संचालकों और इसके उपयोगकर्ताओं के बीच **संवाद एवं सहयोग को सुविधाजनक** बनाना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति** और भविष्य की योजनाओं के बारे में **समुदाय को सूचित** करना।

स्पंज सिटी

"**स्पंज सिटीज़**" की नई अवधारणा और इस अनुरूप शहरों का विकास **शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने का एक प्रभावी तरीका** है।

स्पंज सिटी के बारे में:

- स्पंज सिटी वास्तव में **शहरी विकास की संधारणीय पद्धति** है। इसमें **बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता सुधार और प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्र संरक्षण के लिए संधारणीय तरीका** अपनाया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **हरित छतें, कृत्रिम आर्द्रभूमियां (Constructed wetlands), वृक्ष आवरण में वृद्धि** आदि।
- **स्पंज सिटीज़ के लाभ:**
  - ये **वायु की आर्द्रता** बढ़ाती हैं;
  - **शहरी सूक्ष्म जलवायु यानी स्थानीय जलवायु** को प्रभावित करती हैं; तथा
  - **लोक स्वास्थ्य जोखिमों को कम** करती हैं।
- **दुनिया भर में स्पंज सिटीज़ के उदाहरण:**
  - **अल्बानिया में तिराना** शहर वायु को स्वच्छ रखने के लिए एक **रिंग फॉरेस्ट** बना रहा है;
  - **बर्लिन में हरित छतों और वर्टिकल गार्डन्स** को बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्वतंत्र निदेशक डेटाबैंक (IDDB)

भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (IICA) ने स्वतंत्र निदेशक डेटाबैंक (IDDB) को आगे बढ़ाने के लिए **एग्जीक्यूटिव सर्च लीडर्स के साथ समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए।

स्वतंत्र निदेशक डेटाबैंक के बारे में

- यह **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** की एक पहल है। इसका उद्देश्य **मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का क्षमता निर्माण** करना है।
  - एक **स्वतंत्र निदेशक** किसी कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य होता है। हालांकि, वह **कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन में शामिल नहीं** होता है और न ही उसका **इस कंपनी से आर्थिक संबंध** होता है।
- यह कंपनियों को **स्वयं को पंजीकृत कराने और स्वतंत्र निदेशक की भूमिकाओं के लिए सही कौशल रखने वाले व्यक्तियों** से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है।
- इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत विकसित किया गया है।

संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर वैश्विक रिपोर्ट, 2024

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण (IPC) पर वैश्विक रिपोर्ट, 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार **स्वास्थ्य-देखभाल सेवा कर्मियों से जुड़े संक्रमणों (HAI) को रोकने में निहित गंभीर कमियों को दूर करने में धीमी प्रगति** हुई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वर्तमान में विश्व के **71% देशों में संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण (IPC)** कार्यक्रम सक्रिय हैं। हालांकि, 2023-2024 में केवल **6% देशों** ने ही WHO के 'संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण" के **सभी न्यूनतम मानदंडों को पूरा** किया है।
- **वित्तीय और संसाधन संबंधी चुनौतियां:** उदाहरण के लिए, 2023 में लगभग **एक चौथाई देशों ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति में कमी की सूचना** दी थी।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) तथा WHO के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, 2050 तक स्वास्थ्य-देखभाल सेवा कर्मियों से जुड़े संक्रमणों की वजहों से हर साल **लगभग 3.5 मिलियन लोग अपनी जान गंवा** सकते हैं।

हाई रिस्क फूड

FSSAI ने **पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर को 'हाई रिस्क फूड'** श्रेणी में वर्गीकृत किया है।

हाई रिस्क फूड के बारे में

- हाई रिस्क फूड का आशय खाने के लिए तैयार ऐसे खाद्य पदार्थों से है, जिनमें **रोगजनक बैक्टीरिया का गुणन** होता हैं। इसके अलावा, यह फूड सेहत के लिए **हानिकारक साबित** हो सकता है।
- इनमें डेयरी उत्पाद जैसे- **पोल्ट्री सहित मांस उत्पाद; मछली और मछली उत्पाद,** आदि शामिल हैं।
- हाई रिस्क फूड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों को **अनिवार्य जोखिम-आधारित निरीक्षण के अधीन किया** जाता है।
- हाई रिस्क वाली खाद्य श्रेणियों के तहत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता/ प्रोसेसर्स को **प्रतिवर्ष FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का ऑडिट करवाना** होगा।

सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास

हाल ही में, **संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वारियर (XAW-2024) का 13वां संस्करण महाराष्ट्र** में संपन्न हुआ।

अग्नि वारियर के बारे में

- यह **भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों** के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है।
- **उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक बहुराष्ट्रीय बल के रूप में संयुक्तता प्राप्त करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को अधिकतम करना।

हाल ही में, **भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना** के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास, **सिनबैक्स का पहला संस्करण पुणे में शुरू** किया गया है।

सिनबैक्स/ CINBAX के बारे में

- यह एक योजनागत अभ्यास है। इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियानों का युद्ध अभ्यास** करना है।
- इस अभ्यास में सूचना **संचालन, साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, रसद और हताहत प्रबंधन, HDR संचालन** आदि पर भी चर्चा की जाएगी।

ग्लोबल वन-स्टॉप सेंटर्स (OSCs)

सरकार ने **संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए 9 ग्लोबल OSCs** को मंजूरी दी है।

ग्लोबल OSCs के बारे में

- **उद्देश्य: खराब परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता** प्रदान करना, उनकी तत्काल जरूरतों का समाधान करना और महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना।
- इनमें **आश्रय गृहों के प्रावधान वाले सात OSCs- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब (जेद्दा व रियाद) तथा बिना आश्रय गृहों वाले दो OSCs- टोरंटो एवं सिंगापुर** शामिल हैं।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)** संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं तक कल्याणकारी उपाय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  - ICWF का विस्तार विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों तक किया गया है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी।

चक्रवात फेंगल

चक्रवात फेंगल के प्रभाव के कारण भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने **केरल एवं तमिलनाडु** के कई जिलों के लिए **रेड और ऑरेंज अलर्ट** जारी किए हैं।

चक्रवात फेंगल के बारे में

- यह एक **उष्णकटिबंधीय तूफान** है। चक्रवात वायु की एक विशाल प्रणाली होती है, जो **कम दाब वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती** है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने चक्रवातों को **मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत** किया है:
  - **बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात** (extratropical cyclone): इन चक्रवातों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर होती है।
  - **उष्णकटिबंधीय चक्रवात: ये मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित** होते हैं। ये पृथ्वी पर **सबसे विनाशकारी तूफान** माने जाते हैं।

चक्रवात संबंधी अलर्ट के लिए IMD की कलर कोडिंग:

- प्री-साइक्लोन वाच (येलो); साइक्लोन अलर्ट (ऑरेंज); तथा साइक्लोन वॉर्निंग (रेड)।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

NEWS

नाइजीरिया (राजधानी: अबुजा)

उत्तरी नाइजीरिया में **नाइजर नदी में नाव पलटने से कम-से-कम 54 लोगों की मौत** हो गई।

- **नाइजीरिया की भौगोलिक अवस्थिति:**
  - यह **अफ्रीका के पश्चिमी तट पर** स्थित है।
  - **प्रादेशिक सीमाएं:** इसकी सीमाएं उत्तर में **नाइजर**, पूर्व में **चाड और कैमरून** तथा पश्चिम में **बेनिन** से लगती है।
  - **समुद्री सीमाएं:** दक्षिण में **अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी** से लगती है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **नाइजीरिया में प्रमुख जल बेसिन:** नाइजर-बेन्यू बेसिन, चाड झील बेसिन और गिनी की खाड़ी बेसिन।
  - **प्रमुख नदियां:** नाइजर नदी। यह नदी **अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी** नदी है। **नील और कांगो** अफ्रीका की दो सबसे लंबी नदियां हैं।
    - **'नाइजर के बैकवाटर'** में निर्मित झीलों में **फगुइबाइन झील** भी शामिल है। 1970 के दशक में यह झील सूख गई थी।
  - **प्रमुख झीलें: चाड झील।** यह **चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर** देशों के जंक्शन (संयुक्त सीमा) पर स्थित **ताजे जल की एंडोरहिक झील** है।
    - **एंडोरहिक झीलें** किसी महासागर या समुद्र से जुड़ी नहीं होती है।